समाहरणालय, बक्सर
(जिला उत्पाद शाखा)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 578 दिनांक 09-02-2016 के आलोक में नई उत्पाद नीति, 2015 को प्रभावी रुप से लागू करने के क्रम में अवैध शराब के रोकथाम के लिए गंगा नदी में मोटर वोट / देशी नाव से गश्ती करने हेतु पर दो अद्द मोटर वोट / देशी नाव की आपूर्त्ति लेने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठानों से द्विलिफाफा प्रणाली अन्तर्गत सिलबंद लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (मुहरबंद अलग – अलग लिफाफा में) दिनांक 11-05-2016 को 1.00 बजे अप० तक जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से आमंत्रित की जाती है। निविदा उक्त तिथि 11-05-2016 को ही 04:00 बजे अपराह्न में जिला पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के शर्त्ते निम्नवत हैः–

निविदा की शर्त्ते :–

i. निविदा के साथ मो० 10000.00 (दस हजार) रू० मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से संबंधित होगा एवं बक्सर शाखा में भुगतेय. होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

ii. संबंधित प्रतिष्ठान का जिला परिवहन कार्यालय से निर्गत निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र।

iii. निविदादाता के द्वारा तकनीकी निविदा के साथ पैनकार्ड, सेवाकर निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iv. भाड़े पर आपूर्त्ति किये जाने वाले मोटर वोट / देशी नाव के भुगतान से नियमानुसार आयकर / सेवा कर की कटौती की जायेगी।

v. वैसे निविदादाता द्वारा जिसका न्यूनतम दर कम होगा उसे उसी दर पर मोटर वोट / देशी नाव की आपूर्त्ति भाड़े पर करनी होगी। यदि वे ऐसा नही करते है तो उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा प्रशासन द्वारा इसके अतिरिक्त अलग से कार्रवाई की जायेगी।

vi. तकनीकी निविदा के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एवं काली सूची में दर्ज नही होने का नोटरी से शपथ पत्र।

vii. वित्तीय निविदा अन्तर्गत निम्नलिखित प्रपत्र में निविदादाता द्वारा दर अंकित किया जायेगा तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

मोटर वोट / देशी नाव मालिक का नाम एवं पता	मोटर वोट / देशी नाव की क्षमता	दैनिक भाडा		मासिक भाडा		अभ्युक्ति
		ईंधन सहित	ईंधन रहित	ईंधन सहित	ईंधन रहित	

viii. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ix. मोटर वोट / देशी नाव में किसी प्रकार के तकनीकी एवं अन्य खराबी तथा रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित आपूत्तिकर्त्ता की होगी।

x. आपूत्तिकर्त्ता द्वारा प्रति नाव दो चालक एवं एक गोताखोर उपलब्ध कराया जायेगा।

xi. मोटर वोट / देशी नाव उत्पाद विभाग, बक्सर के नियंत्रणाधीन संचालित होगा।

xii. मोटर वोट / देशी नाव में सामान्यतः 12-15 व्यक्ति के भार वाहन क्षमता का होना अनिवार्य है।

xiii. मोटर वोट / देशी नाव का फिटनेस प्रमाण-पत्र मोटर यान निरीक्षक से निर्गत किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

xiv. भाड़े पर नया मोटर वोट / देशी नाव आपूर्त्ति करने वाले निविदादाता के द्वारा एक माह के अन्दर उपर्युक्त वांछित निबंधन प्रमाण-पत्र एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

xv. मोटर वोट / देशी नाव का परिचालन का समय, मार्ग आदि जिला प्रशासन, बक्सर द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जायेगा।

xvi. निविदा प्रपत्र उत्पाद अधीक्षक कार्यालय, बक्सर से कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि के पूर्व किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिये बेवसाइट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक....462..................../उत्पाद,बक्सर,दिनांक..21.4..,**2016**

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की **05** (पाँच) हॉर्ड प्रतियाँ एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निविदा सूचना को दो प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

21.4.16

जिला पदाधिकारी,
बक्सर